

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 1072
TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 4TH DECEMBER, 2015
13, AGRAHAYANA, 1937 (SAKA)**

E-SAHYOG PROJECT

**1072. SHRI CHANDRA PRAKASH JOSHI:
SHRI SUMEDHANAND SARSWATI:
SHRIMATI SANTOSH AHLAWAT:
SHRI VENKATESH BABU T.G:**

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether the Government has launched e-Sahyog Project, if so, the details along with the features of the scheme;
- (b) the steps taken by the Government to address the genuine problems being faced by the tax payers and to reduce the unnecessary harassment meted out to them by the tax authorities;
- (c) whether the Government has any proposal to set up PAN camps at some selective remote areas in the country; and
- (d) if so, the details thereof including expansion of the scheme across the country?

ANSWER

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI JAYANT SINHA)**

(a) & (b) Yes, Madam. The “e-Sahyog” project launched on a pilot basis, is aimed at reducing compliance cost, especially for small taxpayers. The objective of “e-Sahyog” is to provide an online mechanism to resolve any mismatch or discrepancy in information as per Income-tax return of the taxpayer vis-à-vis information received through AIR, CIB, TDS Statements etc., without visiting the Income Tax Office. Under this initiative the Department will provide an end to end e-service using SMS, e-mails to inform the taxpayers of the mismatch.

The taxpayer has to login to the e-filing portal with his user-ID and Password to view mismatch related information and submit online response on the issue. The responses submitted online by the taxpayers will be processed and if the response is found satisfactory, the issue will be treated as closed. The taxpayer can check the updated status by logging in to the e-filing portal. The tax payers shall also be informed of closure of cases through SMS & e-mail.

(c) Yes, Madam.

(d) The PAN Camps have been organised through PAN service providers NSDL e-Governance Infrastructure Limited(NSDL e-Gov) and UTI Infrastructure Technology and Services Limited (UTIITSL).

NSDL e-Gov has organized PAN Camps at 23 locations across India in the months of October and November 2015. In these PAN camps, blank PAN forms have been made available along-with instructions and guidelines for filling these forms. Duly filled-in forms along with prescribed documents are also collected in these camps.

UTIITSL has organized PAN Camps at 30 locations across India in the months of October and November 2015.

Organizing such camps is an ongoing process. The service providers will continue to hold more camps during the year to facilitate obtaining of PAN by persons residing in remote and semi urban areas.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न सं. 1072

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2015 / 13 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

ई-सहयोग

1072. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

श्री संतोष अहलावत:

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ई-सहयोग परियोजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की विशेषताएं क्या हैं;
- (ख) सरकार द्वारा करदाताओं की उचित समस्याओं के समाधान हेतु और कर प्राधिकृतों द्वारा उनको दी जा रही अनावश्यक प्रताड़ना कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार का देश में चयनित दूरवर्ती क्षेत्रों में पीएएन कैम्प स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि हां, तो देश में इस योजना के विस्तार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) तथा (ख): जी हां। "ई-सहयोग" परियोजना को प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य अनुपालन पर लागत, विशेषकर छोटे करदाताओं के लिए, में कमी लाना है। "ई-सहयोग" का लक्ष्य ऐसा ऑन लाइन तन्त्र उपलब्ध कराना है जिससे कि करदाता के आयकर रिटर्न में दी गई सूचना और एआईआर, सीआईबी, टीडीएस विवरण आदि के माध्यम से प्राप्त सूचना, आयकर कार्यालय में गए बिना, के बीच यदि कोई बेमेल या विसंगति को पाया जाता है तो उसका समाधान किया जा सके। इस प्रकार के प्रयास के अंतर्गत यह विभाग करदाताओं को ऐसे बेमेल की जानकारी ई-मेल से देने के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक "ई-सेवा" उपलब्ध कराएगा। करदाता, बेमेलता से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने तथा इससे संबंधित अपनी प्रतिक्रिया ऑन लाइन व्यक्त करने के लिए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से ई-फाइलिंग पोर्टल को लॉगइन कर सकते हैं। करदाताओं के द्वारा ऑन

लाइन व्यक्त की गई प्रतिक्रिया पर कार्रवाई की जाएगी और यदि ऐसी प्रतिक्रिया को संतोषजनक पाया जाता है तो संबंधित मुद्दे को समाप्त मान लिया जाएगा। करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करके अपनी अद्यतन स्थिति को देख सकते हैं। करदाताओं को भी ऐसे मामलों को बंद किये जाने के बारे में एसएमएस तथा ई-मेल के द्वारा बता दिया जाएगा।

(ग) जी हां।

(घ) पैन सेवा प्रदाताओं जैसे कि एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ई-गोव) और यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलेजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (यूटीआईआईटीएसएल) के द्वारा पैन कैम्पों का आयोजन किया गया है।

एनएसडीएल ई-गोव ने, अक्टूबर और नवम्बर 2015 के महीनों में, पूरे भारत में 23 स्थानों पर पैन कैम्पस लगाए हैं। इन पैन कैम्पों में बिना भरे हुए पैन फार्म तथा उसके साथ निर्देश और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराए गए थे ताकि इन फार्मों को आसानी से भरा जा सके। इन कैम्पों में विधिवत भरे गये फार्मों और निर्धारित दस्तावेजों को भी प्राप्त किया जाता है।

यूटीआईआईटीएसएल ने अक्टूबर और नवम्बर, 2015 के महीनों में पूरे भारत में 30 स्थानों पर पैन कैम्पों का आयोजन किया है।

ऐसे कैम्पों का आयोजन किया जाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये सेवा प्रदाता वर्ष भर कैंप लगाते रहेगे जिससे कि दूर-दराज और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पैन कार्ड की सुविधा प्राप्त हो सके।

.....